संख्या- 612 /71-4099/1229/2019

प्रेषक,

आलोक कुमार,

प्रमुख सचिव,

उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0 प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 23 सितम्बर, 2022

विषयः शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा/ डी0एन0बी0/एम0डी0एस0) में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश/नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-03/2022/1699, दिनांक 14.07.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नीट पी0जी0-2022 की मेरिट सूची के आधार पर स्टेट कोटा की सीटों के सापेक्ष शैक्षणिक सत्र-2022-23 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा/डी0एन0बी0/एम0डी0एस0) में प्रवेश हेतु निम्नवत् दिशा-निर्देश/नीति निर्धारित करते हुए कार्यवाही किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>1-अभ्यर्थियों के आन लाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची:-</u>

नीट पी0जी0 2022 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के आनलाइन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, शुल्क भुगतान आदि की कार्यवाही हेतु गत वर्ष की भांति ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन, लखनऊ को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जाता है। मेरिट सूची महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश तथा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ0प्र0 या उनके द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा एन0आई0सी0के सहयोग से तैयार की जाये।

<u>2- विवरण पुस्तिका (ब्रोशर):-</u>

यू0पी0 नीट पी0जी0 2022 के अन्तर्गत स्टेट कोटे की राजकीय मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों/ विश्वविद्यालयों एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीटों हेतु आयोजित की जाने वाली काउंसिलिंग से संबंधित विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किये जाने की कार्यवाही महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति, जिसमें के0जी0एम0यू0, लखनऊ तथा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, शासन के प्रतिनिधि तथा महानिदेशालय

के अधिकारी सम्मिलित होंगे, के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी। डा0 बी0डी सिंह समिति के संयोजक होंगे।

3- अर्हताएं (Eligibility):-

- अभ्यर्थी द्वारा नीट पी0जी0-2022 एवं एम0डी0एस0-2022 की परीक्षा में प्रतिभाग किया हो तथा परीक्षा में अर्ह घोषित किया गया हो।
- अभ्यर्थी द्वारा एन0आई0सी0 की वेबसाइट https://upneet.gov.in पर निर्धारित शुल्क जमा करते हुए ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया हो।
- नीट एम0डी0एस0 2022 की काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी, जिन्होने अपनी इण्टर्नशिप 31 मार्च 2022 तक पूर्ण कर ली हो।
- नीट पीजी 2022 की काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी, जिन्होने अपनी इण्टर्नशिप 31 जुलाई 2022 तक पूर्ण कर ली हो।
- अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण अभ्यर्थियो को छोड़कर उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी राजकीय क्षेत्र की स्टेट कोटे की सीटो के लिए अर्ह होंगे ।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल संस्थानों की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमो की सीटो हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सहित भारत के अन्य प्रदेशो के उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्ह होंगे।
- ऐसे अभ्यर्थी जो भारत के मूल निवासी हो और उन्होंने अपनी एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम विदेश से उत्तीर्ण किया है, वह प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजो के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीटो हेतु इस शर्त के साथ अर्ह होगें कि उन्होंने अपनी इन्टर्नशिप भारत से की हो और भारत वर्ष के किसी भी प्रदेश मे मेडिकल काउन्सिल मे पंजीकृत हो।
- डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम की स्टेट कोटे की सीटो हेतु पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अभ्यर्थी ही अर्ह होगे तथा उनकी सूची महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सीटो हेतु पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सूची चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी वह राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे-

उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दु के क्रम में डा0 सौरभ द्विवेदी व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य द्वारा योजित सिविल अपील संख्या-8268/2017 तथा डा0 नितिन कुमार व अन्य बनाम डा0 राम दिवाकर व अन्य द्वारा योजित सिविल अपील संख्या-8274/2017 में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में किसी विशिष्टता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उसी विशिष्टता की डिग्री पाठ्यक्रम हेतु अर्ह हैं। एम0सी0आई0 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन्स- 2000, संशोधित मई 2018 के बिन्दु 10 में निम्न व्यवस्था है-

10. PERIOD OF TRAINING

The period of training for the award of various postgraduate degrees or diplomas shall be as follows:

Doctor of Medicine (M.D.) / Master of Surgery (M.S.)

The period of training for obtaining these degrees shall be three completed years including the period of examination.

Provided that in the case of students having a recognised two year postgraduate diploma course in the same subject, the period of training, including the period of examination, shall be two year.

4- अनर्हताएं (Not Eligible):-

- ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों अथवा अनुत्तीर्ण हों, वे राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों/डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 परीक्षा अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं उ0प्र0 राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सीटों पर प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

5- समय सारिणी:-

माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों तथा भारत सरकार द्वारा काउंसिलिंग के सम्बन्ध में निर्गत समय सारिणी के दृष्टिगत प्रदेश में नीट पी0जी0 2022 की काउंसिलिंग में समय सारिणी महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति तय करेगी।

6- पंजीकरण शुल्क:-

नीट पी0जी0 2022 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 3,000/- (रूपये तीन हजार मात्र) प्रति अभ्यर्थी दोनो चक्रो (प्रथम व द्वितीय) की कांउसिलिंग हेतु जमा कराया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण नहीं कराया जाता है तथा वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है तो भी उसे रू0 3,000/-(रूपये तीन हजार मात्र) का पंजीकरण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण शुल्क वापस देय नहीं (Non Refundable) होगा।

मॉप अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियो को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मॉप अप राउण्ड हेतु रू0 2000/-(रूपये दो हजार मात्र) प्रति अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराया जायेगा। पंजीकरण शुल्क वापस देय नहीं (Non Refundable) होगा।

7- धरोहर धनराशि (Security Money):-

धरोहर धनराशि की व्यवस्था निम्नवत की जाती है-

क- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज हेतु-रू0 30000/-

ख- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज हेतु-रू0 2.00 लाख

ग- निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज हेतु-रू0 1.00 लाख

8- **<u>त्याग-पत्र दिये जाने के संबंध में</u>**:- अभ्यर्थी को सीट का आवंटन (Allotment/Allocation) प्रवेश नही है। आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को सबंधित कालेज/नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करने के पश्चात् ही प्रवेश मान्य होगा। तत्पश्चात् ही प्रवेशित अभ्यर्थी प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे सकेगा।

(क) यदि अभ्यर्थी शैक्षणिक सत्र 2022-23 की प्रथम काउंसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल/डेण्टल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात् प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देता है:-

(I) अभ्यर्थी आल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउसिलिंग के माध्यम से किसी अन्य सीट पर आवंटन प्राप्त करता है और वह प्रदेश की प्रथम काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है (त्यागपत्र के समय अन्य काउंसिलिंग से आवंटन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा) तो ऐसे अभ्यर्थी उ0प्र0 राज्य की द्वितीय काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग से दो दिन पूर्व (उदाहरणानार्थ यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग दिनांक 24.09.2022 से प्रारम्भ होनी है, तो अभ्यर्थी 21.09.2022 को सायं 04.00 बजे तक) अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि तथा शिक्षण शुल्क से निम्नानुसार कटौती करते हुए वापस किया जाएगा।

- ➢ राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा समस्त शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।
- ➢ निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।

(II) प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कालेज में प्रवेश ले लिया जाता है तथा अभ्यर्थी को आल इण्डिया/अन्य प्रदेशों की काउंसिलिंग से कोई भी आवंटन प्राप्त नहीं होता है, फिर भी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि (द्वितीय चक्र की च्वाइस फिलिंग से दो दिन पहले) से पूर्व त्याग पत्र देता है तो ऐसी दशा में शिक्षण शुल्क में से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुये शेष धनराशि एवं धरोहर धनराशि (Security Money) वापस किया जाएगा।

<u>(ख) राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु -</u>

प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा समस्त शैक्षणिक शुल्क जब्त कर लिया जायेगा व साथ ही साथ रू0 5,00,000/-(रूपये पॉच लाख मात्र) का बाण्ड प्रभावी मानते हुए उक्त धनराशि सरकार के पक्ष में देय होगी, जिसे अभ्यर्थी को प्रवेशित कालेज में जमा कराना होगा।

<u>(ग) निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु-</u>

शासनादेशसंख्याः-686/71-4-2021-15/2018टी0सी0, दिनांक 16 जुलाई, 2021 के क्रम में प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् प्रथम व द्वितीय चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी माप-अप

राउण्ड से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग-पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा उसके द्वारा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।

मॉप अप राउण्ड के पश्चात निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो/विश्वविद्यालयों/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थी पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि सीट से त्याग पत्र देता है तो उक्त पाठ्यक्रम की समस्त शिक्षण शुल्क (Tution Fee) सम्बन्धित मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/ डेण्टल कालेज को देय होगी और सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यदि अभ्यर्थी को सिक्योरिटी धनराशि वापस की जा चुकी है, तो वह भी उसे जमा करना होगा।

(घ) आवंटन के पश्चात् प्रवेश न लेने की दशा में धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जाएगी। प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश न लेने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा उसके द्वारा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।

9- काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रियाः-

प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 दार्-अस-सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

काउन्सिलिंग प्रक्रिया प्रथम व द्वितीय चक्र में सम्पन्न की जायेगी उक्त क पश्चात् यदि कोई सीट रिक्त रहती है तो मॉप अप राउण्ड से आवंटित किये जायेगें।

मॉप अप राउण्ड की आवंटन प्रक्रिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी/अल्पसंख्यक श्रेणी की सीटे रिक्त रहती है तो उन्हें निम्नानुसार सीटों को अनारक्षित श्रेणीं में आमेलित करते हुए माप-अप राउण्ड की आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

- The Conversion of seats will be carried out during the Mop-up round of seat allotment for State Quota. The said conversion will be done only when the candidates belonging to the said conversion category have been exhausted. The algorithm for conversion of category is as follow:-

CONVERSION ALGORITHM

S. no.	Conversion Category	Category converted to
1	ST(PwD)	ST
2	SC(PwD)	SC
3	UR(PwD)	UR
4	OBC(PwD)	OBC
5	EWS(PwD)	EWS
6	ST	SC
7	SC	UR
8	OBC	UR
9	EWS	UR
10	Minority	UR

10- बाण्ड व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में:-

(अ) सेवा बाण्ड -

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 950/71-2-82/2017, दिनांक 07 मार्च, 2018 यथासंशोधित दिनांक 23.8.2022 के क्रम में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित एग्रीमेण्ट बॉण्ड निम्न तालिकानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
स्नातकोत्तर (एम0डी0 /एम0एस0/एम0डी0एस0/पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	02 वर्ष	रू0 40.00 लाख (डिग्री हेतु) रू0 20.00 लाख (पी0जी0 डिप्लोमा/एम0डी0एस0 हेतु)	यथासम्भव/यथावश्यकता महानगरों को छोड़कर राजकीय मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेण्ट अथवा संविदा प्रवक्ता तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित महानगरों को छोड़कर जिला चिकित्सालयों अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।

(ब) (I) स्टेट कोटा/आल इण्डिया कांउसिलिंग के माध्यम से राजकीय मेडिकल कालेजो/विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/डेण्टल कालेजों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के समय रू0 5,00,000.00 (रू0 पॉच लाख मात्र) का बाण्ड महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में इस आशय से देय होगा कि यदि प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तो रू0 5,00,000.00 (रू0 पॉच लाख मात्र) का भुगतान महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को देय होगा तथा प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क तथा सिक्योरिटी धनराशि वापस नहीं किया जायेगा।

(II) स्टेट कोटा/आल इण्डिया कांउसिलिंग के माध्यम से राजकीय मेडिकल कालेजो/विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र देता है तो अभ्यर्थी को प्राप्त समस्त वेतन/स्टापेन्ड वापस करना होगा। शासनादेश संख्या- 1332सेक14/पाँच-96-250/82 टी0सी0, दिनांक 08जुलाई, 1996 के अनुसार कोई अभ्यर्थी जिसे किसी विशेषज्ञता के स्नातकोत्तर डिप्लोमा या उपाधि पाठ्यक्रम में राज्य चिकित्सा कालेजों या के0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में, प्रविष्ट किया गया

हो, किसी भिन्न विशेषज्ञता में प्रवेश के लिए पश्चातवर्ती प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पाठ्यक्रम जिसमें उसे प्रवेश दिया गया है, पूर्ण नहीं कर लेता है और परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है परन्तु यह कि यदि किसी प्रविष्ट छात्र का त्यागपत्र, सम्बद्ध कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा अधिसूचना के जारी होने के पूर्व, स्वीकार किया जाता है और अभ्यर्थी पाठ्यक्रम/अध्ययन के दौरान उसके द्वारा प्राप्त वृत्तिका/वेतन की सम्पूर्ण धनराशि लौटा देता है, तब ऐसा छात्र पश्चातवर्ती प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा परन्तु यह और कि इस उपखण्ड के उपबन्ध ऐसे अभ्यर्थी पर लागू नहीं होंगे, जो उस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है, जो उसे आवंटित किया गया है।

11- प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/स्वायत्तशासी संस्थानों के स्टेट कोटा के सीटों के सम्बन्ध में आरक्षण व्यवस्था:-

(क) प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/स्वायत्तशासी संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नियमानुसार लागू की जानी है।

उर्द्धवाधर (Vertical) आरक्षण

अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत*

क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण

दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी	05 प्रतिशत

* सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 12. जनवरी 2019 एवं उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-।। दिनांक 18 फरवरी 2019 के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा।

(ख) स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन आॅफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर-प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को नीट पी0जी0 2022 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नही होगा।

(ग) रिट याचिका संख्या-1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा हॉरिजण्टल आरक्षण के संबंध में दिनांक 24.3.2017 को पारित आदेश द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर ही अनुमन्य होगा।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछडा वर्ग के अन्तर्गत आने वाली कतिपय जातियाँ भारत सरकार में अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित हैं। यह सम्भावना है कि नीट पी0जी0 2022 के आवेदन के समय उ0प्र0 राज्य के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जाति अनारक्षित श्रेणी में दर्शा दी गई हो।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य की नीट पी0जी0 2022 की काउंसिलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी एवं अन्य श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

(ड.) प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में आल इण्डिया कोटा की 15 प्रतिशत सीटों पर अन्य प्रदेश के प्रवेशित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदेश कोटा की पी0जी0 सीटों पर आरक्षण सम्बन्धी लाभ देय नही होगा तथा वह अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ही माने जायेगे।

(च) आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रपत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगे।

(छ) दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों व जारी प्रारूप पर ही मान्य होंगे तथा वर्तमान सत्र के लिए निर्गत किये गये हो।

(ज) निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजो की सीटो पर कोई आरक्षण देय नहीं है।

(झ) आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग तथा अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2022 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

12- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में शिक्षण शुल्क के सम्बन्ध में:-

निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों का शिक्षण शुल्क पृथक से निर्धारित कर शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

13- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों के डोमिसाइल के सम्बन्ध में:-

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों के साथ ही साथ अन्य राज्यों के निवासियों को भी सीट आवंटन हेतु अर्ह माना जायेगा।

14- काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में:-

नीट पी0जी0 2022 की ऑनलाइन काउंसिलिंग के संचालनार्थ, व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों से आवंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति कालेज से रू0 2,00,000/- तथा निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों से आवंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति कालेज रू0 1,00,000/-जमा कराया जायेगा।

15- उत्तर प्रदेश के पी0एम0एच0एस0 संवर्ग:-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सुसंगत आदेशों के अनुपालन में पी0एम0एच0एस0 सवर्ग के अर्ह चिकित्सकों को Weightage (भारांक) प्रदान करते हुए महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग उ0प्र0 लखनऊ को अर्ह चिकित्सकों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

16- पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट-1994 के अन्तर्गत सीटों का आवंटन-

प्रदेश में गर्भधारण, पूर्व एवं प्रसव -पूर्व निदान- तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) छः मासिक प्रशिक्षण नियम 2014 के अनुपालन में जारी अधिसूचना संख्या- 527/71-2-2016-178/2015, दिनांक 23.02.2016 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में छः माह के प्रशिक्षण हेतु अधिसूचित 06

चिकित्सा संस्थानों में सीटें नीट पी0जी0 2022 की मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से भरी जायेंगी।

17- काउंसिलिंग बोर्ड का गठन-

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अपने स्तर से काउंसिलिंग बोर्ड का गठन किया जायेगा, जिसमें शासन स्तर से न्यूनतम विशेष सचिव स्तर के 01 अधिकारी को नामित किया जायेगा।

18- काउंसिलिंग बोर्ड में अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रतिनिधियों का नामांकन:-

काउंसिलिंग बोर्ड में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के ऐसोसिएशन द्वारा प्रतिनिधियों के नामांकन की व्यवस्था है, जिसे यथावत लागू रखा जाये।

19- मॉप अप राउण्ड:-

वर्ष 2022-23 में मापअप राउण्ड से सम्बन्धित कार्य किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के कलाम सेण्टर में सम्पन्न कराया जायेगा।

मॉप अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हे प्रथम एवं द्वितीय चक्र की कांउसिलिग में कोई सीट आंवटित न हुई हो।

20- काउंसिंलिंग से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों (महानिदेशालय/शासन/एन0आई0सी0) को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में:-

इस सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-77/71-3-1998 दिनांक 31.01.1998 में निहित निर्देशानुसार परिधिगत कार्मिकों सहित शासन (चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4) से सम्बन्धित कार्मिकों को मानदेय देने की कार्यवाही की जायेगी।

21- समय-समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय/भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप काउंसिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

22- काउन्सिलिंग से प्रवेशित सभी अभ्यर्थियों हेतु कॉलेज/नोडल सेन्टर स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर मेडिकल कराया जाना सुनिश्चित करें।

23- **The jurisdiction for court cases/disputes shall be at Lucknow only.**

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-एवं तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, नेशनल मेडिकल काउंसिल, नई दिल्ली/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र 0लखनऊ।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ।
5. निदेशक, डा0 मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र 0लखनऊ।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा 0मुख्यमंत्री, उ0प्र 0शासन।
11. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।